मॉड्यूल - 2 भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



6

मौलिक अधिकार

लोकतांत्रिक देशों के नागरिक निश्चित अधिकारों का उपभोग करते हैं, जो देश की न्यायिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित होते हैं। इनके उल्लंघन की अनुमित न्यायालय द्वारा किसी को भी नहीं दी गयी है यहाँ तक कि राज्य को भी नहीं। भारत, नागरिकों के उन अधिकारों का सम्मान करता है जो हमारे संविधान में 'मौलिक अधिकार' शीर्षक के अन्तर्गत सूचीबद्ध हैं। पाठ में मौलिक अधिकारों को संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में चर्चा की गयी है। इस पाठ में, हम संविधान के तीसरे भाग में वर्णित विभिन्न मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।

े उद्देश्य

इस पाठ को पढने के बाद आप:

- मौलिक अधिकारों के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रकाश डाल सकेंगे कि किसी व्यक्ति का मान-सम्मान मौलिक अधिकारों द्वारा कैसे सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है:
- पहचान सकेंगे कि मौलिक अधिकार किस प्रकार उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक रूप से लागू हो सकते हैं;
- समानता के अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे;
- अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सुरक्षात्मक विभेद के पीछे औचित्य को पहचान सकेंगे:
- स्वतंत्रता के अधिकारों के वर्णन के साथ-साथ उसकी महत्ता पहचान सकेंगे:
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से वंचित करने के विरुद्ध कानून के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया द्वारा सुरक्षा उपाय जान सकेंगे;
- शोषण के विरुद्ध अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे;
- धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कर सकेंगे :
- सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे;
- संवैधानिक उपचारों के अधिकार की पहचान कर सकेंगे;

- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी याचिकाओं के महत्व को जान सकेंगे;
- मौलिक अधिकारों के उपयोग पर संवैधानिक सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे।

6.1 मौलिक अधिकारों का अर्थ तथा महत्त्व

वे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं 'मौलिक अधिकार' कहलाते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास को पूर्णरूपेण सुनिश्चित करते हैं। वे उन सभी आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा शर्तों को समाहित करते हैं जो एक उचित रहन-सहन के लिए आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का अहसास पैदा करते हैं। वे बहुसंख्यकों के शासन के लिए 'लोकतांत्रिक वैधता' की रूपरेखा प्रतिस्थापित करते हैं। आधारभूत अधिकार, जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता।

मौलिक अधिकार आचरण, नागरिकता, न्याय, एवं निष्पक्ष क्रियाकलाप के मानक प्रदान करते हैं। वे सरकार की जाँच-परख के रूप में कार्य करते हैं। हमारे देश की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धारा 14 से 32 में मौलिक अधिकार उल्लखित हैं। ये अधिकार न्यायसंगत हैं।

न्यायसंगत: इस का अर्थ है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन सरकार या किसी अन्य द्वारा किया गया हो तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में जा सकता है।

हमारा संविधान विधायिका और कार्यपालिका को न तो कानून, न ही कार्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारों को तोड़-मरोड़ करने की अनुमित देता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार में बाधक हों। आप इस बारें में अध्याय 'न्यायपालिका' में विस्तार से पढ़ेंगे। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं, उदाहरणार्थ, विधि के समक्ष समानता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार; ये दोनों अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों द्वारा समान रूप से उपयोग किए जाते हैं। मौलिक अधिकार न्यायसंगत होने के बावजूद भी असीम नहीं हैं। संविधान सरकार को लोकहित में हमारे अधिकार के उपयोग पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाने की शिक्त प्रदान करता है।

भारत के संविधान में सात मौलिक अधिकार वर्णित थे। यद्यपि वर्ष 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तब से यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। अब कुल छ: मौलिक अधिकार हैं।

ये मौलिक अधिकार हैं:-

- 1. समानता का अधिकार
- 2. स्वतंत्रता का अधिकार
- 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- 5. सांस्कृतिक एवम् शैक्षणिक अधिकार, तथा
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

मॉड्यूल - 2 भारतीय सविंधान के मुख्य तत्त्व

टिप्पणी

भारतीय संविधान के मख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान

हाल में 86वें संशोधन एक्ट द्वारा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में धारा 21 (A) के द्वारा संलग्न किया गया है।

अब हम इन अधिकारों का एक-एक करके अध्ययन करेंगे।



पाठगत प्रश्न 6.1

रिक्त स्थान भरिए

- (क)सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से _____ वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। (24वॉ/43वॉ/44वॉ)
- (ख) संविधान के भाग III में दिए गए अधिकार को _____ अधिकार के रूप में जाना जाता है। (वैधानिक/आर्थिक/मौलिक)

6.2 समानता के अधिकार

समानता के अधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेषाधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश या कुल, लिंग तथा जन्म स्थान के नाम पर विभेद के विरुद्ध रक्षा करता है। समानता के अधिकार में पाँच प्रकार की समानताएँ हैं।

6.2.1 विधि के समक्ष समानता

संविधान के अनुसार ''भारत क्षेत्र के अन्दर राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान सुरक्षा देने से अस्वीकार नहीं कर सकता है।''

'विधि के समक्ष समानता' का अर्थ है कि कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है और सभी कानून के समक्ष समान है। हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का समान अधिकार प्राप्त है। 'विधि के समक्ष समान सुरक्षा' का अर्थ है अलग-अलग समुदाय के दो व्यक्ति यदि एक ही अपराध करते हैं, तो वे समान दण्ड के भागी होंगे।

6.2.2 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं

किसी भी नागरिक को सार्वजिनक मनोरंजन स्थान, दूकानों तथा भोजनालय जाने पर मनाही नहीं है। राज्य के कोष से पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से प्रबंधित कुओं, तलाबों, स्नानीय घाटों, सड़कों, इत्यादि के उपयोग पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाित तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है। राज्य इन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित कर सकता है, शुल्क में छूट दे सकता है या विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं का प्रबंध कर सकता है।

6.2.3 सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता

हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान

या निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। हालांकि इन अधिकारों के उपयोग की निश्चित सीमाएँ है।

6.2.4 अस्पृश्यता का उन्मूलन

संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा इसके किसी भी रूप में इस्तेमाल का निषेध करता है। निम्नलिखित बॉक्स में दिए कार्य, जब अस्पृश्यता के आधार पर किए गए हों तो, उसे अपराध माना जाता है।

सार्वजिनक संस्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर मनाही; सार्वजिनक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने पर रोक; अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाित के सदस्य को अपमािनत करना; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना।

6.2.5 उपाधियों की समाप्ति

सभी राष्ट्रीय या विदेशी पदवी का जो लोगों के बीच में कृत्रिम विशिष्टता की संरचना करती हैं, उन्मूलन कर दिया गया है।

इस प्रावधान को संविधान में 'राय साहब' या 'राय बहादुर' जैसे पदवी को जो कुछ भारतीयों को उपनिवेश शासन में प्रभावकारी सहयोग के लिए ब्रिटिश द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी, दूर करने के लिए समाहित किया गया है। इस तरह पदवी प्रदान करने का कार्य विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। मानवता या देश के लिए प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्ति या नागरिकों को भारत के राष्ट्रपति उनकी सेवाओं तथा उपलब्धियों के लिए नागरिक या सैन्य सम्मान जैसे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पदमश्री, परम वीर चक्र, इत्यादि प्रदान कर सकते हैं;परंतु इन्हें उपाधि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

पाठगत प्रश्न 6.2

मॉड्यूल - 2 भारतीय सविंधान के



भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान

6.3 स्वतंत्रता का अधिकार

स्वतंत्रता, एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशिष्टता होती है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को 'स्वतंत्रता के अधिकार' में वर्णित छ: स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

6.3.1 छः मौलिक स्वतंत्रताएँ

संविधान, निम्नलिखित छ: मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है:

- (i) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- (ii) बिना हथियार, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता।
- (iii) संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता ।
- (iv) भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता ।
- (v) भारत के किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता।
- (vi) किसी भी कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करने की स्वतंत्रता । आइए, इन स्वतंत्रताओं का एक-एक कर संक्षेप में अध्ययन करें।

(I) भाषण तथा अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता

यह एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने, वाद-विवाद करने तथा विचारों का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करता है। उसमें 'प्रेस' की स्वतंत्रता समाहित है। हालाँकि ये स्वतंत्रताएं जैसे भाषण तथा अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता असीम नहीं है। राज्य को सुरक्षा, कानून व्यवस्था नैतिकता इत्यादि के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के दौरान इन स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है। ज्यों ही धारा 352 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती है, ऊपर वर्णित सभी अधिकार सिवाय जीवित रहने की स्वतंत्रता को छोड़कर सभी स्वत: ही आपातकाल जारी रहने तक निरस्त हो जाते हैं। ज्यों ही आपातकाल समाप्त होने की घोषणा होती है ये सारी स्वतंत्रताएं फिर से लागू हो जाती है।

6.3.2 अपराध के दी गई सजा के संबंध में सुरक्षा

यह संवैधानिक प्रावधान, किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध में अभियुक्त है, उसकी मनमानीपूर्ण गिरफ्तारी एवं अत्यधिक सजा के विरुद्ध सुरक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय सजा नहीं दी जा सकती है। किसी भी अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती।

6.3.3 जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा

संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के अनुसार, उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। यह गारंटी देता है कि जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिना कानून की इजाजत के छीने नहीं जा सकते। यह किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल कुछ सनकी अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सजा से रक्षा सुनिश्चित करता है। वह केवल कानून उल्लंघन के लिए ही सजा पा सकता है।

6.3.4 मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी बनाने पर रोक

हमारा संविधान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निश्चित अधिकार देता है। प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति बंदी बनाये जाने के कारण बताए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। उसे यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के वकील की राय ले सकता है तथा मुकदमा लड़ सकता है। अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाना होता है।

हालांकि ये रक्षा के उपाय विदेशियों तथा उन नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें बंदी निवारक अधिनियम के अंतर्गत बंदी बनाया गया हो।

बंदी निवारक: जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे ही धमकी मिल रही हो तो राज्य उसे सीमित अवधि के लिए बिना जाँच किए बंदी बना सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक इस बंदी कानून के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है, जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिसमें ऐसे व्यक्ति हों जो उच्च न्यायालय के जज होने की योग्यता रखते हों, उनकी अनुमित मिली हो। ऐसी सिमिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश द्वारा होती है।

6.3.5 शिक्षा का अधिकार

संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक नई धारा 21-A को धारा 21 के बाद जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त की सूची से इसे हटा दिया गया है। इसके अनुसार, राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से स्वीकृत तरीके से प्रदान करना होगा। आगे यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है।



पाठगत प्रश्न 6.3

हर प्रश्न के चार विकल्प हैं। सही विकल्प के आगे (√) सही का निशान लगाईए।

- स्वतंत्रता के अधिकार में संख्या में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं:
 - (क) 5
 - (ख) 6
 - (η) 7
 - (ङ) 8
- जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो कितने समय के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा:
 - (क) 12 घंटा
 - (ख) 24 घंटा

मॉड्यूल - 2 भारतीय सविंधान के





63

भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान

- (ग) 36 घंटा
- (ङ) 48 घंटा
- जब किसी व्यक्ति को बंदी निवारक कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितनी अविध तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता है:
 - (क) तीन महीने
 - (ख) छ: महीने
 - (ग) बारह महीने
 - (घ) अठारह महीने
- 4. शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया है। (84वें /86वें / 88वें)

6.4 शोषण के विरुद्ध अधिकार

भारत के लोग न केवल अंग्रेजों द्वारा बिल्क महाजनों तथा जमींदारों द्वारा भी शोषित होते थे। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी के साथ-साथ मानव-व्यापार को भी निषेध करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य को बड़ी आपदाओं जैसे, बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों की सेवाओं की जरूरत होती है।

हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपायों को प्रदान करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों, खानों और खतरे के कारोबार में नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है।

मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा तथा बेचा जाता है।



पाठगत प्रश्न 6.4

रिक्त स्थान भरिए

(क) कारखानों में बच्चों की नियुक्ति वर्ष से कम आयु को कानून के द्वारा निषेध किया गया है। (14/16/18)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में, हिन्दुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म के लोग रहते हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अंत:करण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है।

यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने के अधिकार की अनुमति देता है।

प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धमार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित तथा प्रबंध करने का अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने तथा प्रबंध करने का भी अधिकार है।

हमारा संविधान राज्य-कोष से पूर्णत: प्रबंधित किसी शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। यह प्रतिबंध उन संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं जो राज्य-कोष से पूर्णत: प्रबंधित नहीं है। लेकिन ऐसे संस्थानों में भी किसी बच्चे को धार्मिक उपदेश मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता है।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं हैं। इन्हें कानून व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता।

पाठगत प्रश्न 6.5

रिक्त स्थान भरिए

- (क) एक धर्मिनरपेक्ष राज्य में धर्म का संबंध से है। (व्यक्तिगत/समाज/राज्य)
- (ख)———— शिक्षा का प्रसार राज्य-कोष द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित संस्थान में नहीं हो सकता। (नैतिक/धार्मिक/दोनों में से कोई नहीं)

6.6 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

भारत विभिन्न संस्कृतियों, लिपियों तथा भाषाओं का एक विशाल देश है। लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं।

हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति तथा भाषा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित तथा प्रबंधित करने की अनुमित देता है। वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को राज्य द्वारा विभेदित नहीं किया जा सकता है।

यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वह देश में मिली–जुली संस्कृति की रक्षा तथा उसका प्रसार करे।

6.7 संवैधानिक उपचारों का अधिकार

सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद आप के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक मौलिक अधिकारों को दबा दिया जाए तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है?

हमारे संविधान के भाग III में इन अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी उपचार हैं यदि इनका उल्लंघन राज्य या

मॉड्यूल - 2 भारतीय सविंधान के



मॉड्यूल - 2 भारतीय संविधान के



राजनीति विज्ञान

किसी दूसरे संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। यह भारत के नागरिक को इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। राज्य को ऐसे किसी कानून को बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकारों से विरोध रखता हो।

संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिए गए बॉक्स में वर्णित आदेश या आज्ञापत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस): (लैटिन शब्द) यह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्ति को पहले ही शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे ताकि उसका कारावास या उसकी मुक्ति न्यायोचित ठहराई जा सके।

परमादेश (मेंडमस): (लैटिन शब्द) यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश है कि वह अपनी संबंधित कार्यवाही सुचारु रूप से करे।

प्रतिषेध: यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जो अधीनस्थ न्यायालय या कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई पर निषेध करता है।

अधिकार पृच्छा (क्वो वारेन्टो): यह एक आज्ञा पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में, जिसका वह अधिकारी नहीं, कार्य करने से रोकता है।

उत्प्रेषण: इस शब्द का अर्थ है 'क्या करना है की सूचना देना'। यह आदेश विरष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के लिए है।

ये आज्ञा पत्र व्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए विधायिका, कार्यपालिका या अन्य किसी प्राधिकारी के द्वारा दबाव के विरुद्ध दूरगामी प्रभाव रखते हैं। यदि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं तो संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के भाग III की आत्मा है।

आप इन आज्ञापत्रों के बारे में विस्तार रूप से पाठ संख्या 12 में पढ़ेंगे।



पाठगत प्रश्न 6.6

रिक्त स्थान भरिए

- (ख)भारत में आज्ञापत्र न्यायालय द्वारा जारी होते हैं। (निम्न/अधीनस्थ/उच्च)
- (ग) न्यायालय का निर्देश कि बंदी प्राधिकारी के द्वारा व्यक्ति को समक्ष प्रस्तुत करने वाली रिट —— —————— है। (परमादेश/निषेध/बंदी प्रत्यक्षीकरण)



आपने क्या सीखा

मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग III में धारा 14 से 32 में वर्णित किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों के समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा एवं अन्य रक्षा के उपायों से संबंधित हैं। ये अधिकार न्यायसंगत हैं, अर्थात् वे कानून द्वारा अदालत से लागू किए जाते हैं। वर्तमान में छ: मौलिक अधिकार हैं। हाल में ही, एक संविधान संशोधन द्वारा 'शिक्षा का अधिकार' जोड़ा गया है।

ये अधिकार असीम नहीं हैं। शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा, नैतिकता, सामान्य हित तथा दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों के हित में इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सर्वप्रथम अधिकार है। संविधान के अन्तर्गत, सभी विधि के समक्ष समान हैं तथा राज्य नागरिकों के बीच धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें किसी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है तथा इसे कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है। राज्य को किसी भी सम्मानजनक पदवी, जो समाज में भेद पैदा करे, को प्रदान करने से निषेध किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा आत्मीय विकास पर बल हेतु दिया गया है। यह नागरिकों को छ: स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। यह अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह व्यक्ति की मनमानी गिरफ्तारी तथा बंदी से भी सुरक्षा करता है।

हमारा संविधान बंधुआ मजदूरी तथा मानव व्यापार का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियक्ति खानों, कारखानों, तथा कष्टदायी कार्यों के लिए प्रतिबंधित है।

भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारा संविधान न तो धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित करता है और न ही हतोत्साहित।। भारत धर्मिनरपेक्षता में विश्वास करता है। सभी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक संस्थान चलाने, प्रतिष्ठापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा दी गयी है।

सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार हमें अपनी संस्कृति को बनाये रखने की स्वतंत्रता देता है। जो शैक्षिक संस्थान राज्य-कोष से चल रहा हो या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा हो वह बच्चों को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संस्कृति तथा भाषा की रक्षा एवं प्रसार के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करते समय राज्य धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है।

अंत में, संविधान नागरिकों को संवैधानिक उपचारों के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के उपयोग की सुरक्षा देता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आदेशों, निर्देशों, तथा आज्ञापत्रों को जारी करें। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने सही कहा है कि ये आज्ञापत्र ''संविधान के भाग III की आत्मा हैं।''

🖒 पाठांत प्रश्न

- संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए।
- 2. समानता के अधिकार के किन्हीं तीन पहलुओं का वर्णन कीजिए।
- 3. स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत छ: मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
- 4. शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कीजिए।
- 5. किस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारत में एक धर्मिनरपेक्ष राज्य व्यवस्था प्रतिष्ठापित करने में मदद करता है? व्याख्या कीजिए।
- 6. आज्ञा पत्र (रिट) क्या है? इसे जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है?
- 7. ''मौलिक अधिकार न्याय संगत है'', कथन की व्याख्या कीजिए।
- 8. स्वतंत्रता के अधिकार के सभी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
- 9. 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोडे गए 'शिक्षा के अधिकार' का उल्लेख कीजिए।

मॉड्यूल - 2 भारतीय सविंधान के मुख्य तत्त्व



भारतीय संविधान के मुख्य तत्त्व



राजनीति विज्ञान



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1

- (क) 44वां
- (ख) मौलिक

6.2

- (क) सामाजिक
- (평) 5
- (ग) समानता
- (घ) विशेष
- (ङ) सामाजिक

6.3

- (क) ख
- (ख) ख
- (ग) क
- (घ) 86वां

6.4

(क) 14.

6.5

- (क) व्यक्ति
- (ख) धार्मिक

6.6

- (क) अल्पसंख्यक
- (ख) उच्च न्यायालय
- (ग) बंदी प्रत्यक्षीकरण
- (घ) अधिकार पृच्छा
- (ङ) उत्प्रेषण

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

- (1) खण्ड 6.1 देखें
- (2) खण्ड 6.2 देखें
- (3) खण्ड 6.3.1 देखें
- (4) खण्ड 6.4 देखें
- (5) खण्ड 6.5 देखें
- (6) खण्ड 6.7 देखें
- (7) खण्ड 6.1 देखें
- (8) खण्ड 6.3 देखें
- (9) खण्ड 6.3.5 देखें।